भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4012

उत्तर देने की तारीख-18/08/2025

विदेश में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र

†4012. श्री पी. सी. मोहन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए भारतीय छात्रों की वर्षवार और देशवार कुल संख्या कितनी है**;**

(ख) क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ आसान वीज़ा प्रक्रिया**,** शैक्षणिक मान्यता को सुगम बनाने या विद्यार्थियों के एक-दूसरे देश में जाने संबंधी समझौतों के लिए कोई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उपाय किए हैं**;**

(ग) क्या सरकार ने यात्रा**,** दस्तावेज़ीकरण और आपात स्थितियों के दौरान ऐसे छात्रों की सहायता के लिए कोई सहायता प्रणाली विकसित की है**;**

(घ) क्या सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की सहायता के लिए कोई छात्रवृत्ति**,** कम ब्याज दर वाले शिक्षा ऋण या वित्तीय सहायता संबंधी योजनाएँ प्रदान की जा रही हैं**;** और

(ङ) कर्नाटक जैसे राज्यों सहित सभी क्षेत्रों के छात्रों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उनके द्वारा इनका लाभ लिया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं**?**

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): शिक्षा मंत्रालय उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों से संबंधित आँकड़े नहीं रखता है। आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में विदेश जाते समय अपनी यात्रा का उद्देश्य अध्ययन/शिक्षा बताने वाले भारतीयों की संख्या निम्न प्रकार है:

वर्ष	2020	2021	2022	2023	2024
छात्रों की संख्या	260363	445582	752111	894783	760073

सरकार ने योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता (एमआरक्यू) और प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौतों जैसे रूपरेखा तंत्रों के माध्यम से वीज़ा प्रक्रिया, शैक्षणिक मान्यता और अन्य देशों के साथ छात्र गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

भारत सरकार द्वारा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों और केंद्रों में भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की गई है ताकि साधन-परीक्षण के आधार पर मौके पर ही कल्याण प्रदान किया जा सके और साथ ही विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों सहित भारतीय नागरिकों द्वारा किए जाने वाले आकस्मिक व्यय को भी वहन किया जा सके। विदेश स्थित भारतीय मिशन/केंद्र उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करने वाले भारतीय छात्रों को अपने साथ-साथ मदद पोर्टल पर भी पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनकी शिकायतों और समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जा सके।

*****